महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर

प्रबन्ध बोर्ड की 70वीं विशेष बैठक
का कार्यवाही विवरण

दिनांक : 17.07.2010 **प्रातः11:30 बजे**

प्रबंध बोर्ड की 70वीं विशेष बैठक दिनांक 17.07.2010 को प्रातः 11.30 बजे बृहस्पति भवन स्थित प्रबंध बोर्ड बैठक कक्ष में आयोजित हुई जिसमें निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए :

1.	प्रोफेसर भगीरथ सिंह, कुलपति	अध्यक्ष
2.	श्री एम..एल.पीतलिया, भीलवाड़ा (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित संकायाध्यक्ष)	सदस्य
3.	प्रो. के.के..शर्मा, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य)	सदस्य
4.	प्रो0 एस.एन.सिंह, अजमेर (कुलपति द्वारा नामनिर्देशित आचार्य	सदस्य
5.	प्रो. रमाकान्त, जयपुर (कुलाधिपति द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
6.	डॉ० रघुनंदन शर्मा (डॉ० रघु शर्मा), विधायक, केकड़ी (विधानसभा अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित)	सदस्य
7.	श्री तपेश पंवार शासन सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
8.	श्री बी.एल.सुनारिया, कुलसचिव	सदस्य सचिव

<u>अनुपस्थित सदस्य</u>

1.	संभागीय आयुक्त (शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि)	सदस्य
2.	प्रो. पी.एस.वर्मा, जयपुर (राजस्थान सरकार द्वारा नामनिर्देशित शिक्षाविद)	सदस्य
3.	शासन सचिव, योजना विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर	सदस्य
4.	निदेशक (आयुक्त), महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान, जयपुर	सदस्य

सर्वप्रथम माननीय कुलपति महोदय ने बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत किया। प्रो0 के.के.शर्मा एवं प्रो. एस.एन.सिंह प्रबंध बोर्ड के कुलपति द्वारा मनोनीत सदस्य के पहली बार बैठक में सम्मिलित होने पर विशेष आभार एवं स्वागत करते हुए अभिनंदन किया। माननीय ने प्रबंध बोर्ड के सभी सदस्यों से प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही संपादित करने में सहयोग की अपेक्षा की, तदुपरांत प्रबंध बोर्ड के सदस्य सचिव द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति उपरांत प्रबंध बोर्ड की कार्यवाही प्रारंभ की गयी।

en	fooj.k	vuHkkx@foHkkx

मद सं. 1

विश्वविद्यालय अध्यादेश 51 (1) में नवीन महाविद्यालय अथवा अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के लिये आवेदन की अंतिम तिथि 30 मई है किन्तु राज्य सरकार द्वारा 30 मई के पश्चात् भी अनापत्ति प्रमाण–पत्र जारी करने, राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं के समय स्वीकृत नये महाविद्यालय/ पाठ्यक्रमों के आवेदन व अनापत्ति प्रमाण–पत्र दिनांक 30 मई के पश्चात् प्राप्त होने, 30 मई के पश्चात् डाक से आवेदन प्राप्त होने के इत्यादि प्रकरणों में निर्धारित अंतिम तिथि के पश्चात् आवेदन प्राप्त होने के कारण सम्बद्धता की कार्यवाही संभव नहीं हो पाती है ।

शैक्षणिक–II

इस सम्बन्ध में महासचिव, आश्वासन बालग्राम ऑरगनाईजेशन, आलावास, जिला पाली के द्वारा दिनांक 26.06.2010 को आश्वासन महाविद्यालय एज्यूकेशन एवं रिसर्च सेंटर, बागावास, जिला पाली के सत्र 2010–11 की नवीन अस्थायी सम्बद्धता हेतु प्रस्तुत आवेदन के संबंध में राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, जयपुर के पत्रांक एफ 26 (11) आरबी/2008/3933 दिनांक 8 जुलाई, 2010 के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम के अनुसार उच्च शिक्षा की सुलभता को बढ़ावा देने के लिये तथा सभी को निष्पक्ष एवं समान अवसर प्रदान करने के लिये समुचित निर्णय लिये जाने के महामहिम कुलाधिपति महोदय के निर्देश प्राप्त हुये हैं ।

महामहिम कुलाधिपति महोदय के उक्त निर्देशों की अनुपालना में अध्यादेश 51 (1) में संशोधन के सम्बन्ध में विचार कर निर्णय करना ।

निर्णय

निर्णय किया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) में नवीन महाविद्यालय अथवा अतिरिक्त विषय अथवा अतिरिक्त पाठ्यक्रम की सम्बद्धता के लिए आवेदन करने की तिथि सम्बद्धता शुल्क के बराबर विलम्ब शुल्क सहित 30 मई ही रखी जावे किन्तु 30 मई के बाद 31 जुलाई तक सम्बद्धता की राशि के तीन गुना राशि विलम्ब शुल्क सहित इस प्रयोजन हेतु आवेदन स्वीकार कर लिए जावें। प्रबन्ध बोर्ड ने इस निर्णय के अनुसार विश्वविद्यालय के अध्यादेश 51(1) के पहले पैरा को सत्र 2010–11 की एवं उसक बाद के सत्रों की सम्बद्धता के लिए कार्यवत्त के परिशिष्ठ–। के अनुसार संशोधित

करते हुए प्रवृत्त करने का निर्णय किया।

मद सं. 2 **संस्थापन**

प्रबन्ध बोर्ड की बैठक दिनांक 08.01.2010 की मद संख्या 21 में निर्णय किया गया कि वर्ष 1997–98 से वर्ष 2004–05 तक में अनुभागाधिकारी/कार्यालय सहायक/लेखाकार एवं वरिष्ठ लिपिक के पदों पर 66 प्रतिशत (वरीयता कम योग्यता अनुसार) विभागीय पदोन्नति समिति और 34 प्रतिशत (योग्यता कम वरीयता अनुसार) रिक्त पदों की नियमानुसार वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति की बैठक आयोजित की जाये । निर्णय की पालना में प्रारम्भ की गई कार्यवाही हेतु संबंधित नियम यथा – राजस्थान विश्वविद्यालय अशैक्षणिक कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम 1974 के नियम संख्या 19 (b) जो 26.06.1998 तक लागू रहे तथा महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर अशैक्षणिक कर्मचारी नियुक्ति एवं पदोन्नति नियम, 1998 जो 27.06.98 से प्रभावशील हैं, के नियम संख्या 32 (8) के अनुसार **(कार्यसूची का परिशिष्ठ–I)** पदोन्नति देने के लिये संबंधित कार्मिक का मूल्यांकन किया जाना आवश्यक है । अभ्यर्थी के मूल्यांकन का आधार वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रपत्र होता है । जिसे वार्षिक कार्य एवं व्यवहार वर्षवार गोपनीय प्रतिवेदन कहा जाता है ।

कई कार्मिकों के वर्ष 1992 से सम्पूर्ण वार्षिक कार्य एवं व्यवहार गोपनीय प्रतिवेदन रिकार्ड में उपलब्ध नहीं होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति द्वारा इस नियम की पालना किया जाना संभव नही हो रहा है । पूर्व की अवधि के प्रतिवेदन अधिकारी और अनुमोदन अधिकारियों में से कुछ सेवानिवृत्त हो चुके है व कुछ का स्वर्गवास हो चुका है ।

अतः वर्षवार विभागीय पदोन्नति समिति/विभागीय चयन समिति के आयोजन में इन नियमों की पालना वार्षिक कार्य एवं व्यवहार गोपनीय प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रबन्ध बोर्ड के समक्ष समुचित निर्देश एवं विकल्प प्रदान करने हेतु विचारार्थ प्रस्तुत है ।

निर्णय **प्रबंध बोर्ड द्वारा निर्णय किया गया कि वर्ष 1996 से पूर्व के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन यदि नहीं भरवाये गये हैं तो उन वर्षों की कार्मिकों की संतोषप्रद सेवाओं का प्रमाणपत्र उनके सेवाभिलेख के आधार पर वर्तमान नियंत्रण अधिकारी से प्राप्त किए जावे। वर्ष 1997 से बाद के वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन जो उपलब्ध नहीं हैं, इसकी जांच हेतु प्रो0 एस.एन.सिंह के संयोजकत्व में एक समिति गठित की जावे। कुलसचिव इस समिति के सदस्य होंगे। समिति अपनी रिपोर्ट प्रबंध बोर्ड की अगली बैठक से पूर्व प्रस्तुत करेगी साथ ही वर्ष 2005 से वार्षिक गोपनीय प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में भरवाने की कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।**

अन्त में अध्यक्ष महोदय का आभार व्यक्त करते हुए बैठक की कार्यवाही सम्पन्न हुई।

कुलपति **कुलसचिव**

सन्दर्भ– प्रबन्ध बोर्ड की निर्णय सं.1 दिनांक 17.7.2010

Ordinance-51(1)

A college seeking affiliation in terms of Sec.24 of the University Act whether for the first time or for extension in the period of temporary/provisional affiliation or in additional subject(s) or for additional course(s) of study or for permanent affiliation shall make a written application through proper channel to the Registrar accompanied with necessary fee as prescribed **(failing which the application form shall be treated as cancelled or othrewise in the case of part submission of the necessary fee the part payment so made shall be forfeited and the said application form shall be rejected)** not later than 31st December preceding the academic year from which affiliation sought is to take effect. However, applications for such affiliation commencing from the session 2010-11 and onwards may be entertained thereafter upto 30th May with a late fee equal to the amount of affiliation fee prescribed, and upto 31st July with a late fee equal to the amount of three times of the affiliation fee prescribed, provided that special valid reason to the satisfaction of the university are given. An affiliation fee for extension for provisional affiliation or for permanent affiliation may be accepted as a special case at the discretion of the University even after 30th May, but not later than the date of the commencement of the academic session provided it is accompanied with a late fee as decided by the University.